न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 44 / 2008

RCMS Case No. 2008/00025

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
भीमसिंह दत्तक पुत्र मोतीसिंह जाति राजपूत निवासी दुदौड़ तहसील मारवाड़ जंक्शन		1 श्रीमति नारंगी पत्नी अर्जुनसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी मांडा हाल निवासी दुदौड़ तहसील मारवाड़ जंक्शन 2 ग्राम पंचायत दूदौड़ तहसील मारवाड जंक्शन जरिये सरपंच

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री अशोक अरोड़ा, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री महेश नारायण ओझा, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांक : 27/02/2018

प्रार्थी की ओर से यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायत अधिनियम 1994 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत दुदौड़ द्वारा मिसल संख्या 08 / 1970–1971 में पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 02.08.1970 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 11 को अपास्त कराने का निवेदन किया। निगरानी दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। उभय पक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर निगरानी पट्टे की भूमि प्रार्थी की पुश्तैनी कब्जासुदा भूमि है, जिसका ग्राम पंचातय द्वारा बिना कोई मिसल कायम किए, विधि विरूद्ध रूप से कार्यवाही करते हुए अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया, जिसका ग्राम पंचायत को किसी प्रकार का विधिक अधिकार नहीं था। ग्राम पंचायत द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टे की दो प्रतियां प्रार्थी को प्राप्त हुई, जिनमें विरोधाभाष है, इस कारण जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा प्रथम दृष्टया फर्जी सिद्ध होता है। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा पारित करने से पूर्व किसी भी नियम की पालना नहीं की है तथा प्रार्थी की कब्जासुदा भूमि का पट्टा जारी करने के दौरान प्रार्थी को किसी भी रूप में सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। ग्राम पंचायत के समक्ष न तो अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया तथा न ही कोई मिसल कायम की गई। न ही ग्राम पंचायत के समक्ष जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकीपालना

अति. जिला कलेक्टर, पाली

में जारी पट्टे से सम्बन्धित किसी प्रकार का रिकार्ड उपलब्ध है, जो प्रकरण को संदेहास्पद साबित करता है। ग्राम पंचायत द्वारा पंचायती राज नियमों में पट्टा जारी करने के जो नियम प्रावधित है, उनमें से किसी भी नियम की पालना नहीं की गई तथा बिना किसी आवेदन के ही मिसल कायम की जाकर जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। अतः निगरानी स्वीकार करावें तथा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को अपास्त करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा वर्ष 1971 में जारी किया गया है, जिसे लगभग 40 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो चुका है। पट्टा जारी करने के 40 वर्ष पश्चात निगरानी प्रस्तुत करने का कोई कारण प्रार्थी द्वारा व्यक्त नहीं किया गया है, इसके कारण निगरानी म्याद बाहर होने के कारण प्राथमिक स्तर पर ही खारिज योग्य है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी वाद/अपील/निगरानी का निर्णय करने से पूर्व म्याद के बिन्दु को निर्णित करना आवश्यक है। यह निगरानी स्पष्ट रूप से म्याद बाहर है, इस कारण निगरानी खारिज की जावे। ग्राम पंचातय द्वारा विधि में प्रदत्त नियमों की पालना करते हुए नीलामी आयोजित की, जिसमें सर्वोच्च प्रार्थी अप्रार्थी संख्या 1 की होने से अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि सम्मत है। मात्र ग्राम पंचायत में रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने के कारण पट्टे की प्रक्रिया को संदेहास्पद नहीं कहा जा सकता है तथा न ही ग्राम पंचायत में रेकर्ड न होने का दोषारोपण अप्रार्थी पर किया जा सकता है। अप्रार्थी उक्त को जरिये नीलामी प्राप्त करने वाला सद्भावी क्रेता है। ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नहीं है। अतः निगरानी खारिज करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत दुदौड़ द्वारा मिसल संख्या 08/1970–1971 में पारित प्रस्ताव संख्या 7 दिनांक 02.08.1970 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 11 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। इस सम्बन्ध में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा अपने पत्र दिनांक 28.07.2017 के जरिये अवगत कराया कि सम्बन्धित रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं है। इस कारण प्रथम दृष्टया जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी पट्टा संदेहास्पद प्रतीत होता है। इस हेतु निगरानी स्वीकार की जाकर प्रकरण पुनः ग्राम पंचायत को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है, जिससे वास्तविक तथ्यों के सम्बन्ध में समुचित जांच के पश्चात कानून के मुताबिक नये सिरे से कार्यवाही की जा सके।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिक स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत दुदौड़ द्वारा मिसल संख्या 08/1970–1971 में पारित प्रस्ताव

संख्या 7 दिनांक 02.08.1970 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 11 को अपास्त किया जाकर प्रकरण इन निर्देशों के साथ ग्राम पंचायत दुदौड को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे पक्षकारान को समुचित साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। इस निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का सम्बन्धित अभिलेख लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

यह निर्णय आज दिनांक 27/02/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भागीरथ बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली